

उत्तराखण्ड शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
संख्या-1127/XXXI(13)G/2013-112(सा0)2012  
देहरादून: दिनांक: 5 अप्रैल, 2013

विज्ञप्ति / विविध

श्री राज्यपाल प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को घोषित राजकीय अवकाश से कोषागारों एवं उपकोषागारों को आच्छादित करने की सड़भ स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)  
सचिव

संख्या-1127/XXXI(13)G/2013-112(सा0)2012तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्य मंत्री/मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्रीगण के अवलोकनार्थ।
3. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिकी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।
13. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति को उसी तिथि में गजट में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियां शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)  
संयुक्त सचिव